

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय का नाम (तहसीलदार खाचरौद)

प्रमाणित किया स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र

क्रमांक 605
25/11/17

दिनांक 25/11/2017

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी दिव्या लक्ष्मि

आत्मज/आत्मजा/पति अभय कुमार निवासी 23 बनिथ (राम आर्य) हाउस

बडि कालोती हनुमन् रोड जिला उज्जैन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के

स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्रं. 2 एवं

क्रं. 1 पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।



केवल 12 माह तक वैध

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुद्रा

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसका पालक/वैद्य अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है अथवा
- 1.3 उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है अथवा
- 1.5 वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/उद्योग/व्यवसाय है, एवं इसके अतिरिक्त:-
- 2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
- 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं की कक्षा की परीक्षा एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमिजिएट, हायर सेकेंडरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा
- 2.3 अन्य मामलों में पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
परंतु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है:-
- 3.1 वह अंध/मूक/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बसहर से शिक्षा ग्रहण की गई है, अथवा
- 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है अथवा
- 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते हैं एवं
- 3.3.1 वह अशिक्षित है, अथवा
- 3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है :-
- 1 मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान/पत्नी/पति है अथवा
- 2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी/पति है अथवा
- 3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विविध पदों पर महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/पत्नी/पति है।